भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं-1773

04/08/2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में अतिरिक्त औषधीय पादप क्लस्टर की स्थापना

1773. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के अंतर्गत औषधीय पादपों के संरक्षण एवं खेती से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के किसानों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का तमिलनाडु में अतिरिक्त औषधीय पादप क्लस्टरों की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) औषधीय पादपों के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जी हाँ।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास एवं सतत् प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, जिनमें संरक्षण कार्यक्रम भी शामिल है, का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन करने वाली एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन एजेंसी के निष्कर्षों के अनुसार, संरक्षण परियोजनाओं ने स्वस्थाने एवं बाह्यस्थाने संरक्षण उपायों के माध्यम से दुर्लभ एवं संकटग्रस्त औषधीय पादपों की प्रजातियों का सफलतापूर्वक संरक्षण एवं पुनर्स्थापन किया है। साथ ही, इन परियोजनाओं ने स्थानीय जैव विविधता में सुधार किया है तथा वन-आश्रित समुदायों के लिए आय के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत औषधीय पादपों के घटक का क्रियान्वयन किया, जिसके तहत मिशन मोड में औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना, जिसमें औषधीय पादपों के घटक भी शामिल हैं, का मध्यावधि मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी द्वारा किया गया। मूल्यांकन के निष्कर्षों से यह संकेत मिला कि औषधीय पादपों की खेती संबंधी गतिविधियों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया।

(ख): बागवानी के एकीकृत विकास हेतु मिशन (एमआईडीएच), एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय वर्ष 2014-15 से लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें फल, सब्जियाँ, मूल एवं कंद फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू तथा कोको शामिल हैं। एमआईडीएच योजना के अंतर्गत सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

एमआईडीएच योजना के अंतर्गत किसानों/लाभार्थियों को कम अवधि वाले औषधीय पादपों, अर्थात् गैर-बारहमासी तथा गैर-वृक्षीय प्रजातियों की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लागत मानदंडों तथा सहायता के स्वरूप का विवरण **संलगनक-I** पर दिया गया है।

वर्ष 2018-2025 की अवधि के दौरान, एनएमपीबी-आरसीएफसी (दक्षिणी क्षेत्र) ने तमिलनाडु में 08 किसान समूहों को सहायता प्रदान की, जिसके माध्यम से 25 औषधीय पादपों की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 3.15 लाख से अधिक उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री (क्यूपीएम) के उत्पादन में सहयोग दिया गया। इन रोपण सामग्रियों को प्रभावी रूप से किसानों के खेतों में उगाया गया और बाद में पूरे राज्य में अतिरिक्त लाभार्थियों को वितरित किया गया। क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्र - दक्षिणी क्षेत्र (आरसीएफएसआर) राज्य के किसानों के समूहों को भागीदारों के रूप में रखकर उपयुक्त औषधीय पादपों के क्यूपीएम के उत्पादन के लिए राज्य में इस गतिविधि का समर्थन करता है और राज्य में औषधीय पादपों की खेती का विस्तार करता है ।

तमिलनाडु के बागवानी एवं वृक्षारोपण फसल विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य बागवानी विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 2.65 करोड़ रुपये के वित्तीय व्यय से 680 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा दिया गया है। फसलों के लिए प्रदान की गई सहायता का विवरण **संलगनक-II** पर दिया गया है।

(ग)**:** जी नहीं, वर्तमान में, एनएमपीबी के अंतर्गत औषधीय पादपों की खेती के लिए कोई योजना नहीं है। हालांकि, एनएमपीबी द्वारा पूरे देश में "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन" पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के लिए परियोजना-आधारित सहायता प्रदान करना है। औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्र एवं पश्च संबद्धता, केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को सहायता प्रदान की जा रही है:

- औषधीय पादपों की खेती के लिए रोपण सामग्री तैयार करने हेतु उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के लिए अवसंरचना का विकास।
- किसानों को जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियाँ।
- औषधीय पादपों की विपणन क्षमता बढ़ाने, उपज का मूल्य संवर्धन करने, लाभप्रदता में वृद्धि करने तथा हानि को कम करने के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन एवं विपणन हेतु अवसंरचना का विकास।
- कच्चे माल की गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन।

हालांकि, एनएमपीबी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को "औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्र एवं पश्च संबद्धता (एकीकृत घटक)" नामक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की

है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसानों को वितरण हेतु रोपण सामग्री तैयार करने के लिए नर्सरियों की स्थापना तथा फसल कटाई के बाद प्रबंधन हेतु बुनियादी ढाँचे की स्थापना शामिल है।

(घ): राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय द्वारा पूरे देश में "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास एवं सतत् प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना" का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए परियोजना-आधारित सहायता प्रदान की जाती है:

i. संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के साथ आजीविका संबंध स्थापित करना, ताकि वन क्षेत्रों/पंचायतों/वन पंचायतों/जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से मूल्य संवर्धन और आजीविका सृजन को बढ़ावा दिया जा सके।
ii. आईईसी गतिविधियाँ, जैसे प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ/सम्मेलन आदि।
iii. अनुसंधान एवं विकास ।
iv. औषधीय पादपों के उत्पादों के विपणन एवं व्यापार को बढ़ावा देना।
v. औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्र एवं पश्च संबद्धता स्थापित करना।

******

संलगनक - I

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एमआईडीएच योजना के अंतर्गत अनुदान राशि का विवरण:

घटक का नाम	**लागत मानदंड**	**सहायता का स्वरूप**
औषधीय पौधे (मुलेठी, शतावरी, कालीहरि, श्वेत मुसली, गुग्गुल, मंजिष्ठा, कुटकी, अतीस, जटामांसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी, विदारीकंद, पिप्पली, चिरायता, पुष्करमूल)	1.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर	सामान्य क्षेत्रों में अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 40% की दर से सहायता दी जाती है । यह सहायता रोपण सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि के लिए आवश्यक सामग्री की लागत की पूर्ति हेतु आनुपातिक आधार पर दी जाती है। सहायता राशि का भुगतान 60:40 के अनुपात में दो किस्तों में किया जाता है। पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों टीएसपी (जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों सहित), जीवंत ग्रामों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के मामले में, अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 50% की दर से सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता आनुपातिक आधार पर दी जाती है।

संलगनक - II

तमिलनाडु के बागवानी एवं वृक्षारोपण फसल विभाग द्वारा औषधीय फसलों के लिए प्रदान की गई सहायता का विवरण:

क्र. सं.	**सहायता प्रदत्त औषधीय पादपों के नाम**	**सामान्य नाम**	**प्रति हेक्टेयर राशि (रु. में)**
1.	कोलियस बार्बेटस	कोलियस	24,000
2.	ग्लोरिओसा सुपरबा	ग्लोरिओसा	1,00,000
3.	कैसिया एंगस्टिफोलिया	सनाय	12,500
4.	कैथरैंथस रोजियस	पेरीविंकल	13,000
5.	एनोना म्यूरिकाटा	सॉरसॉप	18,000